समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2018 निगरानी

निगरानी-4215/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

1. प्रेमनारायण तनय स्व श्री सरमन ब्राहमण
2. रमेश तनय स्व श्री सरमन व्राहमण निवासीगण ग्राम मिलोनी तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ म.प्र.

.............आवेदकगण

श्री अनिल कुमार पाण्डेय
द्वारा आज दि० 6-7-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 13-7-18 नियत।

6-7-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. भगवत प्रसाद द्विवेदी तनय स्व धर्मदास द्विवेदी मिलोनी तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ हाल निवासी वार्ड न 21 कुमैदान मुहल्ला ~~अख्तर खां के बंगला में~~ पुराना बस स्टेण्ड के पास तहसील व जिला टीकमगढ म0प्र0 ।
2. भगवान दास मृतक वैध वारिस–

   सजय कुमार पिता मनमोहन द्विवेदी
3. मनमोहन द्विवेदी पुत्र स्व श्री धर्मदास द्विवेदी
4. कैलाश प्रसाद द्विवेदी तनय स्व बाबूलाल द्विवेदी
5. सीताराम तनय स्व बाबूलाल द्विवेदी
6. संतोष तनय स्व बाबूलाल द्विवेदी
7. महादेव तनय स्व श्री बाबूलाल द्विवेदी
8. गोरीशंकर तनय सरमन व्राहमण
9. हरिशंकर तनय स्व सरमन व्राहमण
10. कलावती पुत्री स्व श्री बाबूलाल द्विवेदी पत्नि ओमकार पस्तोर निवासी गाम बैतपुरा तहसील जतारा जिला टीकमगढ म.प्र.।
11. प्रेमलाल पत्नि स्व लखनलाल व्राहमण

अनिल कुमार पाण्डेय
5/7/18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4215/2018/टीकमगढ़/भू.रा. जिला टीकमगढ प्रेमनारायण विरूद्ध भगवत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04 -09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । दिनांक 13-08-2018 को आवेदक के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन को कायमी के प्रश्न पर सुना गया था । 2. मेरे द्वारा निगरानी मेमो, अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर का द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 10-05-2018 एवं अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ का प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 30-06-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 3. अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ ने पाया है कि तहसीलदार के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर नामांतरण किया गया है एवं आपसी सहमति के आधार पर नामांतरण बंटवारे के विरूद्ध अपील स्वीकार करने के संबंध में राजस्व निर्णयों का न्याय दृष्टांत उपलब्ध है । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आपसी सहमति से किये गये नामांतरण के विरूद्ध 1 वर्ष 11 माह के बाद अपील प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा निगरानीकर्ता का धारा 5 का आवेदन समय अवधि बाह्य मानते हुए अपील निरस्त की गई है। 4. अपर आयुक्त सागर के द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार एवं अनुविभागीय न्यायालय का अभिलेख देखने के उपरांत विभिन्न राजस्व न्याय दृष्टातों के अनुपालन में निगरानीकर्ता के द्वारा दायर द्वितीय अपील निरस्त की गई है, एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा है । 5. आवेदक द्वारा प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित रखने के उपरांत दिनांक 24-08-2018 को कुछ दस्तावेज पेश कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आपसी सहमति से शपथ पत्र जो तहसीलदार के न्यायालय में गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह कूटरचित है । अभिलेख सहमति शपथपत्र को कूटरचित सिद्ध करने का कार्यक्षेत्र न्यायिक दण्डाधिकारी/सत्र न्यायालय का है । अतः उक्त दस्तावेजों का परीक्षण राजस्व मण्डल के द्वारा नहीं किया जा सकता	

1/2

(2)

है । सहमति शपथ पत्र के दाण्डिक न्यायालय में कूटरचित सिद्ध होने पर निगरानीकर्ता पुनः नामांतरण को निरस्त (Reject) कराने हेतु आवेदन दे सकता है ।

6. अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन एवं निगरानी मैमो व आवेदक अभिभाषक के तर्क सुनने के उपरांत अधीनस्थ अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने के कारण निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है ।

सदस्य 04/9/18

3